झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संचिका संख्याः क्री०नि०–06 / स्था०–10 / 2018 04 / दिनांकः 10-06-2022

संकल्प

विषयः ***झारखण्ड खेल नीति 2022 की स्वीकृति के संबंध में।***

झारखण्ड राज्य में खेल–खिलाड़ियों के विकास हेतु 2007 में झारखण्ड खेल नीति बनायी गई थी। वर्त्तमान परिवेश में नई खेल नीति की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिस निमित्त संकल्प संख्या– 1709, दिनांक–12.09.2007 द्वारा गठित झारखण्ड खेल नीति 2007 के स्थान पर झारखण्ड खेल नीति 2022 स्वीकृत की गई है, जो परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न है।

झारखण्ड राज्य के युवा शक्ति एवं इसकी उर्जा को समृद्ध एवं प्रवाहमान बनाने तथा खेल के बहुआयामी पहलुओं के समग्र विकास हेतु नई झारखण्ड खेल नीति का प्रतिपादन किया गया है। ओलम्पिक 2020 (टोक्यो) में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम द्वारा किए गए अभूतपूर्व प्रदर्शन में झारखण्ड राज्य से 02 खिलाड़ी शामिल थे। विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशीप में भी इस राज्य के तीरंदाजो द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। क्रिकेट के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से इस राज्य की प्रतिभाए लगातार अपना लोहा मनवा रही है तथा इस राज्य से भारतीय टीम में खिलाड़ी शामिल हो रहे है, जबकि प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेन्टों में भी इस राज्य के खिलाड़ी परचम लहरा रहे है।

राज्य सरकार भी खिलाड़ियों के श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए भी कृत संकल्पित है। राज्य में खेल प्रशिक्षण हेतु 36 आवासीय तथा 86 से भी ज्यादा डे–बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, जहाँ लगभग 3000 से ज्यादा बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। साथ ही झारखण्ड सरकार तथा सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (CCL) के संयुक्त तत्वावधान में विशिष्ट खेल प्रशिक्षण/अकादमी झारखण्ड राज्य खेल प्रोत्साहन समिति (JSSPS), होटवार में स्थापित है, जहाँ लगभग 500 बच्चे एक साथ विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। झारखण्ड खेल नीति 2022 के सूत्रण से उपर्युक्त खेल सुविधाओं एवं प्रशिक्षण को त्वरण मिलेगा तथा खेल का समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा। तदनुसार झारखण्ड खेल नीति 2022 पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

पूर्व में निर्गत संकल्प सं०–क्री०नि०–06 / स्था०–10 / 2018 –03, दिनांक–07.06.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय।**

अनु०: यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

10/06/2022

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः क्री०नि०–06/स्था०–10/2018 955 राँची, दिनांकः 10.06.2022

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, खेलकूद एवं युवाकाकार्य, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/06/2022

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः क्री०नि०–06/स्था०–10/2018 955 राँची, दिनांकः 10.06.2022

प्रतिलिपिः अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/06/2022

सरकार के सचिव

परिशिष्ट - I

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग
झारखण्ड खेल नीति–2022

1. प्रस्तावना

इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार झारखण्ड के नागरिकों के लिए 'खेल' को उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करायेगी। इस नीति द्वारा राज्य सरकार झारखण्ड के नागरिकों को चयनित खेल विधा में उत्कृष्टता के शिखर तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। विभागीय संकल्प सं०–1709, दिनांक–12.09.2007 द्वारा पूर्व में गठित झारखण्ड खेल नीति 2007 के स्थान पर वर्त्तमान में गठित झारखण्ड खेल नीति 2022 अगले 5 वर्षो के लिए मान्य होगी।

2. दृष्टि

राज्य सरकार सभी आयुवर्ग के नागरिकों के जीवन चर्या में खेलकूद को सम्मिलित कर "स्वस्थ झारखण्ड–खुशहाल झारखण्ड" के सपने को साकार करना चाहती है। राज्य सरकार संसाधनों की संख्या एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि कर झारखण्ड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के शीर्ष पर पहुँचाने हेतु कृत संकल्पित है।

3. उद्देश्य

i. राज्य के नागरिकों के लिए पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेलकूद के लिए वातावरण निर्माण एवं अवसर उपलब्ध करवाना।

ii. राज्य की खेल प्रतिभाओं की पहचान करने तथा प्रतिभाओं को निखारने हेतु संसाधन उपलब्ध करवाना।

iii. खेल में अन्तर्राष्ट्रीय क्षमता–मानक प्राप्ति की दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील रहना। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाना।

iv. खेल को सामाजिक परिवर्त्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करना।

v. एक समेकित प्रणाली, जिसमें खेल विकास योजनाएँ, प्रोत्साहन योजनाएँ एवं खिलाड़ी/प्रशिक्षक कल्याण कार्यक्रम शामिल हों, के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा 'खेल' को एक आकर्षक एवं व्यवहार्य आजीविका विकल्प के रूप में स्थापित करना।

vi. 'खेलकूद' को व्यापकता एवं विस्तार प्रदान करने हेतु ग्रामीण खेल केन्द्रों को सुदृढ़ करना।

vii. देशज एवं पारम्परिक खेलों को प्रोत्साहन देना।

4. झारखण्ड खेल नीति के निम्नांकित अव्यव हैं:–

i- खेल संस्कृति को बढ़ावा देना।

ii- खेलकूद क्षमता का विस्तार करना।

iii- जीवन कौशल शिक्षा एवं प्रोत्साहन देना।

iv- उद्योग जगत को "खेल" प्रक्षेत्र में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना।

v- खेल संरचना का विकास करना।

5. 1. खेल संस्कृति

i. राज्य में खेल के समग्र विकास की विचाराधारा के साथ खेल के पूर्ण रूपेण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया जायेगा। इससे खेल के प्रति जागरूकता में वृद्धि होगी एवं नागरिकों के स्वास्थ्य में निरन्तर सुधार होगा।

ii. राज्य में खेल संस्कृति के निर्माण में झारखण्ड ओलम्पिक संघ एवं विभिन्न खेलों के मान्यता प्राप्त खेल संघों का सहयोग लिया जाएगा। इस प्रकार बड़े पैमाने पर ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

iii. खेल मैदानों को समुचित रूप से खिलाड़ियों एवं अन्य लोगों द्वारा खेलकूद के उपयोग में लाया जा सके इसके लिए 'पे एंड प्ले' प्रणाली को विकसित किया जायेगा।

iv. खेल क्षेत्र के समग्र विकास से समाज में सकारात्मक वातावरण बनाना संभव है। विद्यालायों में खेल उत्सव का आयोजन किया जाएगा जहाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।

v. खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ–साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के अनुभवों को साझा करने, खेल पर चर्चा, प्रदर्शनी मैच जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

vi. राज्य के खिलाड़ियों द्वारा डोपिंग मुक्त खेल सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन किया जायगा।

vii. खेल में शुचिता बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मानको को अपनाया जायगा।

5. 2. सिद्धो–कान्हू युवा खेल क्लब

खेल संस्कृति सुदृढ़ करने के लिए राज्य की प्रत्येक गाँव में सिदो–कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना की जायेगी। इन युवा खेल क्लबों के माध्यम से युवाओं को प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जायेंगे। चरणबद्ध तरीके से

प्रत्येक वर्ष सिद्धो–कान्हू युवा खेल क्लब को खेल विकास एवं रख–रखाव के लिए 25–25 हजार रुपए की सहायता राशि दी जायेगी।

5. 3. देशज एवं पारम्परिक खेलों को प्रोत्साहन

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से कुछ खेल खेले जाते हैं, जिन्हे बढ़ावा देने हेतु इनका आयोजन विभिन्न स्तर पर किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एवं वैश्विक पटल पर देशज और पारम्परिक खेलों का व्यापक प्रचार–प्रसार हो सकेगा।

5. 4. खेल पर्यटन

झारखण्ड में प्राकृतिक संसाधनों की असीम उपलब्धता हैं। यहाँ की भौगोलिक संरचना विभिन्न साहसिक खेल के लिए उपयुक्त है।

राज्य में खेल पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित कर राजस्व बढ़ाने के प्रयाए किए जायेंगे। खेल पर्यटन द्वारा राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास को बढ़वा मिलेगा।

6. खेलकूद क्षमता

राज्य में विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं को निखारने हेतु रणनीति के तहत बुनियादी ढ़ांचे एवं खेल सुविधाओं को उन्नत करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि खिलाड़ियों के खेल में सुधार किया जा सके जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके।

7 जीवन कौशल, शिक्षा एवं प्रोत्साहन

7. 1. खेल का शिक्षा के साथ जुड़ाव

i. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा वार्षिक खेल कैलेंडर तथा शैक्षणिक कैलेंडर के बीच समन्वय स्थापित किया जायगा जिससे छात्रों की शिक्षा बाधित हुए बिना वे खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

ii. विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक के सृजित एवं रिक्त पदो के विरूद्ध शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति की जायेगी।

iii. अन्तर विद्यालय/ अन्तर महाविद्यालय/ अन्तर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

iv. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उपस्थिति में क्रमशः 25% एवं 15% की छूट दी जायेगी।

v. राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को प्रत्येक वर्ष क्रमशः 1,00,000 रू०, 50,000 रू० और 10,000 रू० की पुरस्कार राशि पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग द्वारा दी जायेगी।

7. 2. खेल प्रतिभा खोज

प्रत्येक वर्ष वार्षिक कैलेंडर का निर्माण कर विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें निखारा जायेगा। प्रतिवर्ष खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए टैलेंट हंट (प्रतिभा खोज) कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इन कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रखंड अथवा जिला स्तर के खेल केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु निबंधित किया जायेगा जिससे उन्हें खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रशिक्षण एवं वातावरण उपलब्ध हो सके।

खेलो इंडिया अन्तर्गत टैलेंट हंट आयोजन के माध्यम से भी खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विभिन्न स्तर के खेल केंद्रों से सम्बद्धित किया जायेगा। विभिन्न खेलों के लिए ट्रेनिंग कैम्प के आयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संघों के साथ वार्षिक कैलेंडर बनाया जायेगा।

7. 3. खिलाड़ियों की प्रतिभा अभिवृद्धि के विभिन्न स्तर

राज्य की प्रत्येक पंचायत में एक सुव्यवस्थित खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा जिससे प्रशिक्षक भी सम्बद्ध रहेंगे। टैलेंट हंट आयोजनों के माध्यम से योग्यता के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को निकटस्थ विद्यालय में प्रवेश भी कराया जायोगा जिससे वे प्रशिक्षण के साथ शिक्षा भी गृहण कर सकें।

7. 3.1 डे–बोर्डिंग या क्रीड़ा किसलय केन्द्र

i. प्रखंड स्तर पर आवश्यकतानुसार डे–बोर्डिंग एवं क्रीड़ा किसलय केंद्र की स्थापना की जायेगी।

ii. प्रखंड स्तर पर अवस्थित इन खेल केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की जायेगी।

iii. डे–बोर्डिंग एवं क्रीड़ा किसलय केंद्र को स्थानीय विद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जायेगा जिससे खिलाड़ी प्रशिक्षण के साथ शिक्षा भी गृहण कर सकें।

iv. टैलेंट हंट में योग्यता के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को डे–बोर्डिंग एवं क्रीड़ा किसलय केंद्र में प्रशिक्षण के साथ उक्त विद्यालय में शिक्षा हेतु भी निबंधित किया जायेगा।

v. इन केन्द्रों में अंतर विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

7. 3.2 जिला/आवासीय खेल विकास केन्द्र

i. जिला स्तर पर आवासीय खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा । इसके लिए प्रथम प्राथमिकता वहाँ अवस्थित स्टेडियम को दी जायेगी।

ii. जिले के विभिन्न प्रखंडों से चुने गए प्रतिभावान खिलाड़ियों के आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ की जाएगी।

iii. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 100 प्रतिभागियों के आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

iv. जिला स्तरीय आवासीय खेल विकास केन्द्र को निकटस्थ विद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा जिससे खिलाड़ी प्रशिक्षण के साथ शिक्षा भी गृहण कर सकें।

7. 3.3 एकलव्य खेल अकादमी (सेंटर ऑफ एक्सलेन्स)

i. वैसे जिला/प्रमण्डल जिसमें जिस खेल की प्राथमिकता हो, वहाँ एकलव्य खेल अकादमी के नाम से 'सेंटर आफ़ एक्सलेन्स' की स्थापना की जायेगी।

ii. इन केन्द्रों पर आवासीय प्रशिक्षण की उच्च स्तरीय व्यवस्था की जाएगी।

iii. विभिन्न स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताएँ के माध्यम से चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जायेगा।

iv. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में 100–150 प्रतिभागियों के आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

v. उत्कृष्टता के लिए विभिन्न राज्यों की अकादमी, राष्ट्रीय अकादमी एवं राष्ट्रीय खेल महासंघों से सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा।

vi. खेल अकादमी को निकटस्थ विद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा जिससे खिलाड़ी प्रशिक्षण के साथ शिक्षा भी गृहण कर सकें।

7. 3.4 खेल विश्वविद्यालय

खेल के विभिन्न पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना हेतु राज्य में एक 'खेल विश्वविद्यालय' की स्थापना की जाएगी।

खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से खेल के विकास तथा उदीयमान खिलाड़ियों को विशेष कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक शोध एवं खेल विकास के उपाय किये जायेंगे जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम हो सकें। खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से खेल से जुड़े पाठ्यक्रम विकसित किये जाएंगे जिससे इच्छुक लोगों को तकनीकी विशेषज्ञ, अम्पायर, रेफरी आदि के रूप में कार्य करने का अवसर मिल सके।

7. 4. खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

7. 4.1 खेल–एक बेहतर वैकल्पिक कैरियर

i. खेल जीवन के पश्चात अपने भविष्य को लेकर खिलाड़ियों में शंका की स्थिति बनी रहती है जो खेल में उनके प्रयास पर बाधा भी डाल सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए खेल नीति में नौकरी से लेकर पेन्शन तक विभिन्न प्रावधान किए जा रहे हैं।

ii. खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी प्रदान की जायेगी।

iii. राज्य सरकार द्वारा मान्य खेलों (मुख्य रूप से ओलम्पिक/कॉमनवेल्थ गेम एवं एशियन गेम में सम्मिलित खेल) के उदीयमान खिलाड़ियों (राज्य में पदक एवं राष्ट्रीय भागीदारी) को 'खेल छात्रवृत्ति' प्रदान की जायेगी।

iv. राज्य सरकार द्वारा मान्य खेलों के अन्तर्राष्ट्रीय–राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त खिलाड़ियों को 'पुरस्कार–सम्मान' दिया जायेगा।

v. उदीयमान खिलाड़ियों के लिए 'खिलाड़ी कल्याण कोष' से विभिन्न लाभ प्रदान किये जायेंगे।

vi. राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/झारखण्ड ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल विधाओं में अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले सरकारी कर्मी को एक अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

vii. राज्य में अवस्थित एवं संचालित खेल संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्रों से निकलने वाले खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/झारखण्ड ओलम्पिक संघ से मान्य खेल विधाओं में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करते है, वैसे खेल संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र को अतिरिक्त खेल संरचना एवं खेल उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहन प्रदान करेगी ताकि भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिल सके।

7. 4.2 खिलाड़ी कल्याण कोष

राज्य के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति/पेंशन/आकस्मिक सहायता आदि का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए निम्नवत समिति द्वारा आवेदनों पर निर्णय लिया जायेगा :–

1.	निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय	सदस्य सचिव
3.	अवर सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	अवर सचिव, पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग	सदस्य
5.	झारखण्ड ओलम्पिक संघ के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग द्वारा नामित दो उत्कृष्ट खिलाड़ी	सदस्य

7. 4.3 खिलाड़ी छात्रवृत्ति

i. मान्य खेलों के राज्य के सीनियर, जूनियर, सब–जूनियर खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के आधार पर कुल तीन वर्ष की अवधि तक निम्न दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी –

सीनियर खिलाड़ी – 6,000/– प्रतिमाह

जूनियर खिलाड़ी – 3,500/– प्रतिमाह

सब–जूनियर खिलाड़ी– 2,500/– प्रतिमाह

ii. राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल सामग्री हेतु निम्न दर से वार्षिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा –

सीनियर खिलाड़ी – 5,000/–

जूनियर खिलाड़ी – 3,000/–

सब–जूनियर खिलाड़ी– 2,000/–

iii. तीनों स्तरों (सीनियर, जूनियर एवं सब–जूनियर) के खिलाड़ियों को अधिकतम तीन वर्ष तक उपर्युक्त वर्णित आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।

iv. छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन किया जाएगा और उपलब्धि नहीं होने पर उनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी।

v. उक्त छात्रवृत्ति एवं भत्ता टीम को सामूहिक रूप से प्रदान नहीं किया जायेगा तथा खिलाड़ियों को व्यक्तिगत स्तर पर प्रदान की जायेगी।

7. 4.4 खिलाड़ी पेंशन योजना

राज्य के अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ध्यानचन्द अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ओलम्पिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ खेल / एशियन गेम के पदक विजेता – वैसे खिलाड़ी, जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं हैं, उन्हें आजीवन 10,000/– रूपये तक मासिक पेंशन एवं उनकी मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित (यथा पत्नी और नाबालिग बच्चा/बच्चों) को 5,000/– रूपये तक मासिक पेंशन दी जाएगी। ऐसे पूर्व खिलाड़ी पेंशन के हकदार नहीं होंगे जो भारत सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू में पूर्व में कार्य कर चुके हों।

7. 4.5 खिलाड़ी सम्मान राशि

राज्य के वैसे खिलाड़ी, जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में पदक प्राप्त किया हो अथवा भागीदारी की हो, उन्हें निम्न रूप से सम्मान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

क्र०	प्रतिस्पर्द्धा	पदक	पदक प्राप्त गैर पेशेवर खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि	प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिय
1	ओलम्पिक खेल/शीत ओलम्पिक	स्वर्ण	2,00,00,000	5,00,000
		रजत	1,00,00,000	
		कांस्य	75,00,000	
2	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशीप			
	(सीनियर)	स्वर्ण	20,00,000	1,50,000
		रजत	15,00,000	
		कांस्य	10,00,000	
	(जूनियर)	स्वर्ण	10,00,000	1,00,000
		रजत	7,00,000	
		कांस्य	5,00,000	

	(सब–जूनियर)	स्वर्ण	3,00,000	50,000
		रजत	2,00,000	
		कांस्य	1,00,000	
3	एशिया कप	स्वर्ण	15,00,000	1,00,000
		रजत	12,00,000	
		कांस्य	10,00,000	
4	एशियन खेल / एफ्रो एशियन खेल	स्वर्ण	12,00,000	50,000
		रजत	10,00,000	
		कांस्य	7,00,000	
5	राष्ट्रमंडलीय (कॉमन्वेल्थ) / यूथ ओलम्पियाड	स्वर्ण	10,00,000	50,000
		रजत	7,00,000	
		कांस्य	5,00,000	
6	इण्टर कॉन्टिनेन्टल चैम्पियनशीप	स्वर्ण	7,00,000	40,000
		रजत	5,00,000	
		कांस्य	3,00,000	
7	एशियन चैम्पियनशीप / कॉमनवेल्थ चैम्पियनशीप			
	(सीनियर)	स्वर्ण	7,00,000	50,000
		रजत	5,00,000	
		कांस्य	3,00,000	
	(जूनियर)	स्वर्ण	5,00,000	25,000
		रजत	3,00,000	
		कांस्य	2,00,000	
8	अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट (कम से कम 8 देशों की सहभागिता)			
	(सीनियर)	स्वर्ण	1,00,000	-
		रजत	75,000	
		कांस्य	50,000	
	(जूनियर)	स्वर्ण	50,000	-
		रजत	35,000	
		कांस्य	15,000	
	(सब–जूनियर)	स्वर्ण	25,000	-
		रजत	15,000	
		कांस्य	10,000	
9	सैफ खेल			
	(सीनियर)	स्वर्ण	3,00,000	-
		रजत	2,00,000	
		कांस्य	100,000	

	(जूनियर)	स्वर्ण	1,00,000	-
		रजत	75,000	
		कांस्य	50,000	
10	अंतर्राष्ट्रीय वेटरन चैम्पियनशीप	स्वर्ण	35,000	-
		रजत	25,000	
		कांस्य	15,000	
11	विश्व मैराथन	स्वर्ण	1,00,000	-
		रजत	75,000	
		कांस्य	50,000	
12	राष्ट्रीय खेल	स्वर्ण	3,00,000	-
		रजत	2,00,000	
		कांस्य	1,00,000	
13	राष्ट्रीय चैम्पियनशीप / इंटर जोन)			
	(सीनियर)	स्वर्ण	1,00,000	-
		रजत	75,000	
		कांस्य	50,000	
	(जूनियर)	स्वर्ण	75,000	-
		रजत	50,000	
		कांस्य	35,000	
	(सब–जूनियर)	स्वर्ण	40,000	-
		रजत	30,000	
		कांस्य	15,000	
14	अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता / चैम्पियनशीप	स्वर्ण	30,000	-
		रजत	20,000	
		कांस्य	15,000	
15	राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता	स्वर्ण	40,000	-
		रजत	30,000	
		कांस्य	15,000	
16	खेलो इंडिया	स्वर्ण	40,000	-
		रजत	30,000	
		कांस्य	15,000	
17	विशेष ओलम्पिक (अंतर्राष्ट्रीय) दिव्यांग खेल प्रतिस्पर्द्धा	स्वर्ण	5,00,000	75,000
		रजत	3,00,000	
		कांस्य	2,00,000	
18	विश्व मैराथन दिव्यांग खेल प्रतिस्पर्द्धा	स्वर्ण	1,00,000	25,000
		रजत	75,000	
		कांस्य	50,000	
19	एशियन / राष्ट्र मण्डलीय दिव्यांग खेल प्रतिस्पर्द्धा	स्वर्ण	1,00,000	-
		रजत	75,000	
		कांस्य	50,000	

20	विशेष ओलम्पिक (राष्ट्रीय) दिव्यांग खेल प्रतिस्पर्द्धा	स्वर्ण	15,000	-
		रजत	10,000	
		कांस्य	7,000	

7. 5. प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन

i. पदक प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के पूर्व खिलाड़ियों को प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सहयोग एवं अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा ।

ii. आवश्यकतानुसार प्रशिक्षक का पद सृजन कर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

iii. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त पूर्व खिलाड़ियों को भी निर्धारित प्रावधान के आलोक में प्रशिक्षक के रूप में रखा जायेगा।

iv. निरन्तर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षक सम्मान राशि, नगद पुरस्कार, पदोन्नति आदि प्रदान किया जाएगा।

v. अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के पूर्व खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

vi. उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण के लिए सुविधा प्रदान की जायेगी।

7. 5.1 प्रशिक्षक सम्मान राशि

निम्नांकित प्रतियोगिताओं में सफल गैर–पेशेवर खिलाड़ियों के झारखण्ड के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार राशि निम्नवत् दी जायेगीः–

क्र०	प्रतियोगिता / चैम्पियनशीप	स्वर्ण पदक / प्रथम स्थान	रजत पदक / द्वितीय स्थान	कांस्य पदक / तृतीय स्थान
1	ओलम्पिक खेल	10,00,000	7,00,000	5,00,000
2	विश्व कप / विश्व चैम्पियनशीप	5,00,000	3,00,000	2,00,000
3	यूथ ओलम्पिक / शीतकालीन ओलम्पिक गेम्स	2,00,000	1,00,000	75,000
4	राष्ट्रमण्डल (कॉमनवेल्थ गेम) खेल	1,00,000	75,000	50,000
5	एशियन गेम्स / ऐफ्रो एशियन गेम्स / एशियन चैम्पियनशीप / इंटर कॉटिनेंटल चैम्पियनशीप	1,00,000	75,000	50,000
6	सैफ गेम / अन्य अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशीप	75,000	50,000	25,000

7	राष्ट्रीय खेल	75,000	50,000	25,000
8	राष्ट्रीय चैम्पियनशीप/ राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद/खेलो इंडिया/ राष्ट्रीय विश्व विद्यालय खेलकूद	50,000	25,000	15,000

प्रशिक्षकों के पुरस्कार राशि के संबंध में निम्नवत् समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगाः–

1.	निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय	सदस्य सचिव
3.	अवर सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	अवर सचिव, पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग	सदस्य
5.	झारखण्ड ओलम्पिक संघ के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग द्वारा नामित दो उत्कृष्ट खिलाड़ी	सदस्य

7. 6. <u>खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधा</u>

i. भारतीय खेल संघ द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य/जोनल प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय भागीदारी के लिए खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, तथा खेल सामान के लिए वित्तीय सहायता निम्न प्रकार दी जायेगीः–

यात्रा भत्ता	भोजन हेतु दर	खेल सामग्री
A.C 3 tier ट्रेन टिकट या A.C बस टिकट की राशि अथवा रियायती दर पर प्राप्त टिकट की राशि, जो न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति। वास्तविक मूल स्थान से आयोजन स्थल तक जाने एवं वापस आने। (दोनो तरफ का)	आयोजक द्वारा भोजन की व्यवस्था नहीं करने पर 350/– रुपए प्रति दिन (टूर्नामेंट के दिन और एक दिन पहले और एक दिन बाद + यात्रा अवधि में)।	सीनियर के लिए 5,000/– रूपए तक, जूनियर और सब–जूनियर के लिए 3,000 तक।

ii. आवासीय प्रशिक्षण कैम्प में भागीदारी के लिए निम्न प्रकार राशि का भुगतान किया जायेगाः–

यात्रा भत्ता	भोजन हेतु दर	चिकित्सा भत्ता	निवास	खेल उपकरण ग्राउण्ड की तैयारी
A.C 3 tier ट्रेन टिकट या A.C बस टिकटों की राशि की प्रतिपूर्ति। मूल स्थान से कोचिंग कैपों के आयोजन स्थल तक और वापस। (दोनों तरफ़ का)	एक दिन पहले से कोचिंग अवधि के लिए प्रति दिन 300/–	कुल शिविर अवधि के लिए रू० 3,000/– प्रति व्यक्ति	अकादमियों में निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा।	रू० 25,000/– तक का

(कोचिंग कैंप की अवधि अधिकतम अवधि 21 दिन की होगी।)

7. 7. <u>खिलाड़ियों को नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण</u>

राज्य में खेल को बढ़ावा देने हेतु शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एवं विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में खिलाड़ियों के लिए कुल सीट का 3 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा।

7. 8. <u>सीधी भर्त्ती के आधार पर खिलाड़ियों की नियुक्ति</u>

उत्कृष्ट उपलब्धि वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकारी नौकरियों में सीधी भर्त्ती के लिए नई नियमावली का गठन किया जायेगा।

7. 9. <u>खिलाड़ियों का निबंधन/सूचीबद्ध करना</u>

प्रत्येक खेल विधा के लिए सूचीबद्ध खिलाड़ियों का निबंधन खेल संघों की सहायता से किया जायेगा।

राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों की जानकारी एकत्र कर उन्हें समय–समय पर सहायता पहुँचाने हेतु पोर्टल का निर्माण किया गया है। पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक चिन्हित और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उदीयमान खिलाड़ियों की जानकारी भी एकत्र की जायेगी, जिससे उनके प्रदर्शन का विश्लेषण कर सहायता प्रदान किया जा सके।

7. 10. खेल संघों की भूमिका

भारतीय ओलम्पिक संघ/झारखण्ड ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त वैसे खेल संघ जिनकी राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय इकाई कार्यरत है, को खेल में सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. 10.1 खेल संघों को प्रोत्साहन राशि

निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन वैसे खेल संघों जिनके राष्ट्रीय महासंघ की मान्यता भारतीय ओलम्पिक संघ से हो एवं राज्य इकाई की मान्यता झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो, को प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु निम्नवत् वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगीः–

क्र०	प्रतियोगिता स्तर	श्रेणी ए (एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिन्टन, कुश्ती, साईकिलिंग एवं कबड्डी)	श्रेणी बी (वुशु, वालीबॉल एवं दिव्यांग खेल)	श्रेणी सी (निशानेबाजी, खो–खो, ताइक्वाण्डो, चेस, मुक्केबाजी, जूडो, लॉग बॉल, जिमनास्टिक, हैण्डबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन एवं अन्य वैसे सभी खेल जो ओलम्पिक/ एशियाड/ कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल है)
1	अंतर्राष्ट्रीय	अधिकतम 1 करोड़ रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)	अधिकतम 50 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)	अधिकतम 25 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)
2	राष्ट्रीय	अधिकतम 20 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)	अधिकतम 15 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)	अधिकतम 7.5 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)

3	जोनल	अधिकतम 10 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50%तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)	अधिकतम 7 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)	अधिकतम 5 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)
4	अंतर जिला	अधिकतम 8 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)	अधिकतम 5 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)	अधिकतम 3 लाख रुपए मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ को (50% तुरंत और 50% ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद)

7. 11. झारखण्ड खेल पुरस्कार

7. 11.1 जयपाल सिंह मुण्डा खेल पुरस्कार

उत्कृष्ट खिलाड़ी को उच्च उपलब्धि के लिए जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस पुरस्कार का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के किसी एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को सम्मान प्रदान करना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्मृति चिन्ह के साथ निर्धारित राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

7. 11.2 झारखण्ड खेल सम्मान पुरस्कार

खेल प्रशिक्षक एवं खेल के प्रोत्साहन की गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों/संस्थानों/खेल संघों/प्रशासकों को प्रोत्साहन और सम्मान देने के लिए झारखण्ड खेल सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। उक्त पुरस्कार हेतु उत्कृष्ट प्रशिक्षक/ संस्थान/ खेल संघ का चयन किया जायगा, जिनके खिलाड़ियों ने निर्दिष्ट राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय चौम्पियनशिप/खेलों में पदक जीता हो, या विभिन्न निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया हो, या खेल के प्रोत्साहन में विशिष्ट योगदान दिया हो।

8 उद्योग की भूमिका

राज्य में खेल के विकास के लिए जहाँ एक ओर समुचित बजट प्रावधान किया जायेगा वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। विभिन्न खेलों के विकास हेतु निजी सार्वजनिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जायेगा।

तदनुसार निजी क्षेत्रों द्वारा खेलों एवं खिलाड़ियों को दीर्घकालीन अवधि में अपनाने एवं समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। निजी क्षेत्र में खेल अकादमियों को विकसित करने से अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा।

9 खेल संरचना

9. 1. खेल संरचना का विकास

i. राज्य सरकार के अतिरिक्त पंचायती राज्य संस्था, स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्था, खेल संगठन एवं औद्योगिक उपक्रमों के सहयोग से खेल संरचना का निर्माण एवं उपयोग किया जाएगा।

ii. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में उपलब्ध खेल मैदानों एवं स्टेडियमों का रख–रखाव मात्र खेल के उद्देश्य से किया जाएगा एवं खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यालयों, शहरों, कॉलोनियों में खाली जमीन की व्यवस्था की जायेगी। उपलब्ध संरचनाओं एवं मानव शक्ति के अधिकतम उपयोग हेतु प्रयास किया जायेगा।

iii. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी खेल परिसर के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इन परिसरों का लोग 'पे एंड प्ले' की प्रणाली के माध्यम से भुगतान कर उपयोग कर सकेंगे।

iv. राज्य में खेल के समग्र विकास के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग पंचायत स्तर पर भारत सरकार/राज्य सरकार (पंचायती राज विभाग) के मार्ग निदेशों के अनुरूप किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर इसमें convergence भी की जायेगी।

v. ग्राम पंचायत स्तर पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के तहत "वीर शहीद पोटो–हो खेल विकास योजना" के अंतर्गत राज्य के ग्राम पंचायतों में निर्मित खेल मैदानों का रख–रखाव एवं उपयोग ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

vi. खेल संरचना में आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए Jharkhand Sports Development Fund स्थापित किया जायेगा। Jharkhand Sports Development Fund को सोसाइटी ऐक्ट के अंतर्गत निबंधन किया जायेगा। इस फंड में विभिन्न कम्पनियों, एजेंसियों एवं निजी क्षेत्र से प्राप्त राशि संधारित की जायेगी। इस फंड में राज्य के सरकारी खजाने की कोई राशि उपयोग में नहीं लायी जायेगी। प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर District Sports Development Fund बनाया जायेगा

जिसमें जिला उपायुक्त–अध्यक्ष, जिला खेल पदाधिकारी– सदस्य सचिव, जिला ओलम्पिक संघ, राज्य एवं जिला स्तर के तीन प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे।

9. 2. <u>खेल सामग्री</u>

राज्य में उत्तम गुणवत्ता युक्त खेल सामग्री की उपलब्धता एवं निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सामग्री खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। खेल सामग्री के क्रय के संबंध में Jharkhand Procurement Policy के प्रावधानों के अनुरूप स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन दिया जायेगा। Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy 2021 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में खेल सामग्री के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जायेगा। Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy 2021 के प्रावधानानुसार स्थानीय उद्यमी के साथ–साथ राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पूर्व खिलाडियों तथा खेल संघों को भी खेल सामग्री संबंधित उद्योग की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

10 <u>जन सम्पर्क</u>

खेल को लोकप्रिय एवं सर्वव्यापी बनाने में जन सम्पर्क माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रोनिक/डिजिटल/प्रिंट मिडिया का इस कार्य में सहयोग लिया जायेगा।

11 <u>डिजिटिल डाटाबेस</u>

राज्य में सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं संसाधन (स्टेडियम इत्यादि) का डिजिटिल डाटाबेस तैयार किया जायेगा जिससे डाटा आधारित नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन किया जा सके।

12 <u>नियमावली गठन</u>

खेलनीति–2022 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न नियमावली का गठन किया जायेगा।

13 <u>नीति की समीक्षा</u>

झारखण्ड खेल नीति–2022 की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी, जिससे आवश्यकतानुसार खेल के क्षेत्र में होने वाले विकास के अनुरूप इसमें संशोधन किया जा सकेगा।

14 भविष्य

झारखण्ड खेल नीति – 2022 को राज्य के खेल के क्षेत्र में उज्ज्वल भविष्य की प्रबल प्रत्याशा में तैयार किया गया है, ताकि राज्य में खेल क्षेत्र के समग्र विकास के साथ सभी खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक मान्यता प्राप्त खेलों में उच्चतम स्तर तक अपना प्रदर्शन करने में सहयोगी बन सकें।